तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत हाकिम
28-12-2015	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष अनुपस्थित आज वर्क सस्पेंड /अवकाश निवाची / साबिक आदेश में दिनांक 14-3-2016 को पेश हो आदेश से रीडर
14.3.16	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष उप० पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त अवकाश में उपस्थिती साबिक आदेश दिनांक 23.5.16 को पेश हो। आदेश से रीडर
10.6.16	पत्रावली कोर्ट कैम्प मोली पर पेश। वादी का वाद पत्र इस प्रकार है कि ग्राम मोली भांवा साबिक अ.न. 319 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा है। जिसका नवीन नम्बर 617 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा है मुझ वादी एवं मेरी माता सूडी का खेती के लिए भूमि की आवश्यकता होने से साबिक अ.न. 319 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा दिनांक 13.8.75 को तात्कालीन खातेदार मगना, लादू पुत्रगण ढोला निवासी मोली को 4000 नगद देकर कब्जा प्राप्त किया तथा खाते पर उनके नाम होने से मेरी माता सूडी के नाम से पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तब से वादी अ.न. 319 हाल आराजी नम्बर 617 पर खातेदार की हैसियत काश्त करता आ रहा है मेरी माता की मृत्यु हो चुकी मेरे माता पिता के अकेला वारिस हैं। अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को

आराजी नम्बर 617 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा नवीनतम न० 617/1 व 617/2 ग्राम भोली की खातेदार होने के कारण राजस्व अभिलेख मे नाम दर्ज कर प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे।

राजस्व रेकार्ड व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बकौल कैम्प उक्त आराजियात ग्राम भोली के ख०न 617/1 व 617/2 पर किसका कब्जा है तो जानकारी मे आया की मौके पर कब्जा वादी का नहीं है, अतः उक्त ग्राम का कैम्प S.C वर्ग से किया जो प्रभावहीन है, अतः वाद पत्र अनुसार कब्जा सिद्ध नहीं होने से वाद पत्र अस्वीकार किया जा कर वाद पत्र खारीज किया जाता है।

आज यह निर्णय कोर्ट कैम्प भोली मे खुले आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नाथी से दाखिल हो।

(उम्मेद सिंह राजावत)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
कैम्प सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner